

राजस्थान-सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(2)(04)स्था/स.अ.अधि./अभि./16/286-88

दिनांक 29-05-2017

**-:कार्यालय आदेश:-**

निर्देशानुसार निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 7908-8271 दिनांक 18.05.2017 के द्वारा 280 अभ्यर्थियों का सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया था तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक 8308-8668 दिनांक 23.05.2017 को इनका पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। आदेश में इनको सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय में दिनांक 26.05.2017 तक उपस्थिति देने हेतु निर्देश किया था, परन्तु निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों ने आज दिनांक तक ना तो सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी है और न ही सन्दर्भित को कोई सूचना प्रेषित की है।


क्र.सं.	नाम	मेरिट सं
1.	पवन कुमार	03
2.	सुश्री प्रीति गोयल	40
3.	माधव सिंह राठौड	45
4.	लेघा दीपक रणजीत	56
5.	विभात सिंवर	93
6.	कविता	114
7.	सुश्री सोनिया पूर्वा	144
8.	हंसराज खटीक	147
9.	विकास चौधरी	187
10.	वेद प्रकाश मीणा	224
11.	विक्रम मीना	226
12.	संदीप सोठवाल	227
13.	बाबू लाल मीणा	245
14.	विनोद कुमार डाबी	257
15.	कैलाश चन्द मीणा	258
16.	सुश्री बृजलता वर्मा	266
17.	सुनिता कुमारी मीना	278

समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त 17 अभ्यर्थियों को स्वयं की उपस्थिति दिनांक 31.05.2017 तक देने हेतु एक मौका दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कार्यग्रहण काल की अवधि बढ़ाने का निवेदन किया है।

क्र.स.	नाम	मेरिट स.
1.	कमल कान्त शर्मा	01
2.	मानवेन्द्र सिंह गौड	13
3.	सत्यभान सिंह हाडा	28
4.	पूनम कुमारी गुप्ता	31
5.	भोमा सिंह चौहान	103
6.	राजू सिंह	130
7.	राकेश कुमार जॉंगिड	139
8.	कृष्ण कुमार सैनी	184
9.	रोशन कुमार कोटिया	193
10.	महेश कुमार	198
11.	मनीष कुमार सोगरा	206


प्रकरणों को समग्रता से विश्लेषित करने के उपरान्त उक्त 11 अभ्यर्थियों को सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में दिनांक 31.05.2017 तक कार्यग्रहण करने हेतु एतद् द्वारा शिथिलन की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार वे पदभार ग्रहण कर सकेंगे।

  
(यशवन्त भारद्वाज)

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:—

- 1—सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत।
- 2— रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)  
राजस्थान, जयपुर